

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 675—699

Dated 21-11-2009

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 162.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में ज्येष्ठ प्राध्यापक (रेडियोनिदान), उपाचार्य (रेडियोनिदान) और आचार्य (रेडियोनिदान) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में ज्येष्ठ प्राध्यापक (रेडियोनिदान), उपाचार्य (रेडियोनिदान) और आचार्य (रेडियोनिदान) भर्ती नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध की अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह-ज्येष्ठता अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
-----------	----------------	----------	---------	---	---	---

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. आचार्य (रेडियोनिदान)	1* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	18600-500-22100 रु. और प्रैक्टिस बंदी भत्ता	लागू नहीं होता	55 वर्ष से अधिक नहीं	हाँ
-------------------------	--	---	---	----------------	----------------------	-----

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
--	--	-------------------------------

(8)	(9)	(10)
<p><b>आवश्यक:</b> (1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।</p> <p>(2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी. (रेडियोलॉजी)/एम. डी. (रेडियोलॉजी)/एम.एस. (रेडियोलॉजी) या समतुल्य।</p> <p>(3) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का अनुभव जिसमें 4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में उपाचार्य/सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p> <p><b>वांछनीय :</b> इन्डैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में एक अनुसंधान प्रकाशन हो।</p>	<p>आयु : नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं : हां</p>	<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष</p>

**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)	(12)
<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है :</p> <p>1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी :</p> <p>(क)(1) जो नियमित आधार पर सदुश पद धारण किए हुए हैं ;</p> <p>या</p> <p>(2) जिन्होंने 16400-20000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं।</p> <p>2. उपाचार्य (रेडियोलॉजी) की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि</p>

(11)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

(13)

पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :

1. गृह सचिव, चंडीगढ़, प्रशासन —अध्यक्ष
2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन —सदस्य
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. उपाचार्य (रेडियोनिदान)	1* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	16350-450-18600-500 20100 रु. और प्रैक्टिस बंदी भत्ता	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	हां

**टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(8)

**आवश्यक:** (1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।

(9)

आयु : नहीं  
शैक्षिक अर्हताएं : हां

(10)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

(12)

उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(14)

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(8)

(2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी. (रेडियोनदान)/एम. डी. (रेडियोलोजी)/एम.एस. (रेडियोलोजी) या समतुल्य ।

(3) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में सहायक आचार्य/ज्येष्ठ प्राध्यापक/प्राध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव ।

**टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

**टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

**वांछनीय :** इन्डैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमिकित कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में एक अनुसंधान प्रकाशन हो ।

(11)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

(12)

**प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है :**

1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क)(1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं : या

(2) जिन्होंने 14300-18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं ।

2. ज्येष्ठ प्राध्यापक (रेडियोनदान) की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा ।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

(13)

पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :—

- |  |          |
|--|----------|
| 1. गृह सचिव, चंडीगढ़, प्रशासन  | —अध्यक्ष |
| 2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान,<br>चंडीगढ़ प्रशासन                                       | —सदस्य   |
| 3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और<br>अस्पताल, चंडीगढ़                            | —सदस्य   |
| 4. संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, सरकारी<br>आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ | —सदस्य   |

(14)

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. ज्येष्ठ प्राध्यापक 1* (2002) (रेडियोनिदान)*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	14,300-400- 15,900-450 18,150 रु. और प्रैक्टिस बंदी भत्ता	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं	सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनु-देशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	नहीं

**टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(8)

आवश्यक: (1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।  
(2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी. (रेडियोनिदान)/एम. डी. (रेडियोलोजी)/एम.एस. (रेडियोलोजी) या समतुल्य।  
(3) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में प्राध्यापक/रजिस्ट्रार/सीनियर रेजिडेंट/परिदर्शक/ट्यूटर के रूप में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव।

(9)

लागू नहीं होता

(10)

एक वर्ष

4217 H BFW/09-2

(8)

**टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

**टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(11)

सीधी भर्ती द्वारा

(12)

लागू नहीं होता

(13)

पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :—

- |  |          |
|--|----------|
| 1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन   | —अध्यक्ष |
| 2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन  | —सदस्य   |
| 3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़                             | —सदस्य   |
| 4. संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चण्डीगढ़ | —सदस्य   |

(14)

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं. वी.-24011/11/2002-एमई-II.]

वलसम्मा के. डेनियल, अवर सचिव

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2009

**G.S.R. 162.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Professor (Radiodiagnosis), Reader (Radiodiagnosis) and Senior Lecturer (Radiodiagnosis) in the Government Medical College & Hospital, Chandigarh, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Government Medical College & Hospital, Chandigarh, Professor (Radiodiagnosis), Reader (Radiodiagnosis) and Senior Lecturer (Radiodiagnosis), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2009.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall apply to the posts as specified in Column No. (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, Classification and Scale of Pay.**—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule.

**4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

**5. Disqualification :** No persons,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
 (b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,  
 shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection by merit or Selection-cum-seniority or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Professor (Radio-diagnosis)	1* (2009) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 18,600-500-22,100 plus Non-practicing Allowance	Not applicable	Not exceeding fifty years's (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	Yes
					<p><b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Div. of J&amp;K State, Lahaul &amp; Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential :</b></p> <p>(i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register;</p> <p>(ii) M.D. (Radiodiagnosis)/M.D. (Radiology)/MS (Radiology) from a recognized University/Institution or equivalent;</p> <p>(iii) Ten year's experience in the profession after acquiring postgraduate qualification, out of which four year's should be as Reader/Associate Professor in a Recognized Medical College/Teaching Institution.</p> <p><b>Note 1 :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2 :</b> The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p> <p><b>Desirable :</b> Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publication in International Journals.</p>	<p>Age : No</p> <p>Educational Qualifications : Yes</p>	<p>One year for direct recruits</p>
<p><b>Method of recruitment :</b> Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods</p>	<p>In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made</p>	
(11)	(12)	
<p>Promotion/deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.</p>	<p><b>Promotion/Deputation (including short-term contract)</b></p> <p>I. Officers of Central/State Governments/Union Territories/Statutory Bodies/Autonomous Organizations/Research Institutions :—</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis ,</p> <p>(ii) with two year's regular service in posts in the scale of pay of Rs. 16400-20000 or equivalent, and</p> <p>(b) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column (8).</p> <p>II. The Departmental Officer in the grade of Reader (Radiodiagnosis) with two year's regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p>	



(12)

The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of Deputation/Contract including period of Deputation/Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five year's. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six year's as on the closing date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation) :—**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Home Secretary, Chandigarh Administration                            | —Chairman |
| 2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration | —Member   |
| 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh       | —Member   |

Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Reader (Radio-diagnosis)	1* (2009) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 16,350-450-18,600-500-20,100 plus Non-practicing Allowance	Not applicable	Not exceeding fifty years's (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Div. of J&K State, Lahaul & Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).	Yes

(8)

(9)

(10)

**Essential :**

(i) A basic University or equivalent qualification included in anyone of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register;

Age : No

Educational Qualifications : Yes

One year for direct recruits

4217 H&amp;FW)09-3

(8)

(ii) M.D. (Radiodiagnosis)/M.D. (Radiology)/MS (Radiology) from a recognized University/Institution or equivalent;

(iii) Five year's teaching experience in the concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Assistant Professor/Senior Lecturer/Lecturer in a recognized Medical College/Teaching Institution.

**Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

**Desirable :** Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals.

(11)

Promotion/deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

(12)

**Promotion/Deputation (including short-term contract)**

I. Officers of Central/State Governments/Union Territories/Statutory Bodies/Autonomous Organizations/Research Institutions :—

(a) (i) holding analogous posts on regular basis

or

(ii) with two year's regular service in posts in the scale of pay of Rs. 14300-18300 or equivalent: and

(b) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column (8).

II. The Departmental Officer in the grade of Senior Lecturer (Radiodiagnosis) with two year's regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion.

The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of Deputation/Contract including period of Deputation/Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five year's. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six year's as on the closing date of the receipt of applications).

(13)

**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation) :—**

1. Home Secretary, Chandigarh Administration
2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration

—Chairman

—Member

(14)

Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

(13)

3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh — Member
4. Professor and Head of the concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh — Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Senior Lecturer (Radio-diagnosis)	4* (2009) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 14,300-400-15,900-450-18,150/- plus Non-practicing Allowance	Not applicable	Not exceeding fifty years's (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Div. of J&K State, Lahaul & Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).	No

(8)

**Essential :**

- (i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register;
- (ii) M.D. (Radiodiagnosis)/M.D. (Radiology)/MS (Radiology) from a recognized University/Institution or equivalent;
- (iii) Three year's teaching experience in the concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Lecturer/Registrar/Senior Resident/Demonstrator/Tutor in a recognized Medical College/Teaching Institution.

**Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite

(9)

Not applicable

(10)

One year

(8)

experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(11)

Direct recruitment

(12)

Not applicable

(13)

**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation) :**

1. Home Secretary, Chandigarh Administration — Chairman
2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration — Member
3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh — Member
4. Professor and Head of the concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh — Member

(14)

Consultation with Union Public Service Commission is necessary.